न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 138 / 2018

1 भागीरथ पुत्र रामलाल उम्र 60 साल जाति जाट निवासी ढ़ाणी गोदारा की तन ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 भोलाराम पुत्र सुवाराम उर्फ सवाई।
2 श्रीमती पतासी देवी पत्नी सुवाराम उर्फ सवाई।
3 माली देवी पत्नी भगवानाराम।
4 बीरबल पुत्र भगवानाराम।
5 बन्नेसिंह उर्फ बनवारी पुत्र लिछमणराम।
6 सुगनाराम पुत्र लिछमणराम।
7 श्रीराम पुत्र जीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाणी गोदारा की तन ग्राम सिंगनौर तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
8 सहायक अभियन्ता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड गुढ़ागौड़जी।
9 शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कृषि विकास शाखा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
10 शाखा प्रबन्धक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भोड़की तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
11 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नवलगढ़।
12 तहसीलदार भूमिधारक तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश पारित उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी के अनुवानी भोलाराम आदि बनाम भागीरथ आदि प्रकरण संख्या 168/2013 वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बंटवारा एवं दर्ज करवाये जाने रास्ता एवं खुलवाये जाने नामान्तकरण विधुत कनेक्शन में पारित आदेश दिनांक 09.10.2018 को अपास्त व निरस्त किये जाने हेतु।

उपस्थिति :

1. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर सत्यमेव जयते

—निर्णय—

दिनांकः— 6-11-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 168/2013 में पारित निर्णय दिनांक 09.10.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने ग्राम सिगनौर तहसील उदयपुरवाटी की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भूमि खसरा नम्बर 911,912,913,914,963,964,965,966 के सन्दर्भ में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.06.2015 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अन्तिम डिक्री जारी की। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 06.08.2018 के अनुसार प्रकरण की पत्रावली में आगामी तारिख पेशी दिनांक 26.11.2018 की नियत की गई थी लेकिन प्रकरण में दिनांक 09.10.2018 को कोई तारिख पेशी नही होने के बावजूद दिनांक 09.10.2018 को न्यायालय में पेश होने बाबत कोई तारिख पेशी का नोटिस अपीलांट को नही दिया गया है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 14.02.2018 की तहसीलदार द्वारा अक्षरशः पालना नही करने के बावजूद मौका रिपोर्ट दिनांक 24.09.2018 के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह गलत है क्योंकि आदेश दिनांक 14.02.2018 के अनुसार विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की उपस्थिति में मय नक्शा तैयार करके भिजवाई जानी थी लेकिन तहसीलदार उदयपुरवाटी ने न तो पक्षकारान को उपस्थिति बाबत कोई नोटिस दिया और ना ही पूर्व में अपीलार्थी द्वारा ऐतराज विभाजन प्रस्ताव में अंकित आपत्तियों जो ऐतराज विभाजन प्रस्ताव में अंकित है, के बाबत कोई जांच की है, अपीलार्थी ने अपने ऐतराज विभाजन प्रस्ताव मे मौके पर कब्जे बाबत विस्तृत विवरण अंकित किया है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार जो रास्ता अंकित किया गया है, वह अपीलार्थी के घर के मध्य से अंकित किया गया है, जो प्रथम दृष्टया रूप से ही गलत है। अपीलार्थी को दिनांक 09.10.2018 में पत्रावली रखने का कोई नोटिस नही देकर उसी दिन निर्णय पारित करके विचारण न्यायालय ने न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों की अवहेलना करके आक्षेपित आदेश पारित किया है। मौके पर विभाजन प्रस्ताव से विपरित भूमि पर पक्षकारान का कब्जा है, इसके बावजूद विचारण न्यायालय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ने मनमाना आदेश पारित किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2017(1) पेज 658, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 585 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत अपील अन्तिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी होने पर राजस्व एजेन्सी द्वारा विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति स्वीकार कर पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये है। पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील अन्तिम डिक्री के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नही दी गई है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी होने पर राजस्व एजेन्सी द्वारा विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। इन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट ने आपत्ति प्रस्तुत की थी। विचारण न्यायालय ने आपत्ति स्वीकार कर पुन विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के आदेश दिये है। पुन विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अपीलांट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने से भी प्रकट होता है कि सभी पक्षकारों को मौके

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

पर कब्जे के अनुसार भूमि विभाजन में दी गई है। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 6/1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर